रजिस्टर्ड नं० एल० ३८७

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, रविवार, 31 दिसम्बर, 1972

पौष 11, 1894 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 4432, सत्रह-वि-1-156-1972

लखनऊ, 31 दिसम्बर, 1972

विज्ञप्ति

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारि उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) (संशोधन) विधेयक, 1972 पर दिनांक 3 दिसम्बर, 1972 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45, 1972 के रूप में सर्वसाधार की सूचनार्थ इस विज्ञप्ति द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) (संशोधन) अधिनियम, 1972

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45, 1972]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) अधिनियम, 1972 का संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के तेइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है —

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) (संशोधन) अधिनियम, 1972 कहलायेगा।

घोषणा

2—एतद्द्वारा यह घोषणा की जाती है कि यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 39 के खण्ड (ख) और (ग) में निर्दिष्ट सिद्धान्तों को सुनिश्चित करने की दिशा में राज्य-नीति को कार्यान्वित करने के लिये है।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 36, 1972 की धारा 3 का संशोधन

3—उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) अधिनियम, 1972, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 में —

(1) उपधारा (1) में,—

(क) शब्द तथा अंक "दिनांक 12 जुलाई, 1972 से प्रारम्भ होने वाली तीन महीने की अवधि के भीतर" के स्थान पर शब्द तथा अंक "दिनांक 12 जुलाई, 1972 से 31 जनवरी, 1973 तक की अवधि के भीतर" रख दिये जायं;

(ख) शब्द तथा अंक "उपधारा (3) और (4)" के स्थान पर शब्द तथा अंक "उपधारा (3), (4) और (5)" रख दिये जायं;

(ग) शब्द "या कृषि भूमि" निकाल दिये जायं;

(2) उपधारा (3) में—

(क) खण्ड (ख) निकाल दिया जाय;

(ख) खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायं, अर्थात्—

"(घ) 11 जुलाई, 1972 के पूर्व संस्थित किसी वाद में सक्षम न्यायालय द्वारा दी गयी किसी डिक्री अथवा यू० पी० इन्कम्बर्ड स्टेट्स ऐक्ट, 1934 की धारा 14 के अधीन किसी डिक्री के निष्पादन में शहरी सम्पत्ति के किसी अन्तरण पर;

(ङ) किसी सहकारी आवास समिति के पक्ष में शहरी सम्पत्ति को बन्धक रखने पर, यदि ऐसी सम्पत्ति कोई निर्मित अथवा निर्माण के लिये प्रस्तावित भवन हो, अथवा ऐसे भवन या प्रस्तावित भवन का स्थल हो, और खण्ड (ग) के उप खण्ड (4) में अभिदिष्ट सहकारी समिति द्वारा व्यवस्थित निधि में से उक्त समिति द्वारा दिये गये ऋण या अग्रिम धनराशि में से पूर्णतः या अंशतः क्रय किया गया हो अथवा क्रय किये जाने के लिये प्रस्तावित हो।";

(3) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय —

"(5) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, डिवीजन का आयुक्त, यह समाधान हो जाने पर कि 1 अप्रैल, 1969 को, और इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक को भी, किसी व्यक्ति द्वारा अपने परिवार के सदस्यों सहित धृत शहरी सम्पत्ति का वर्तमान बाजार मूल्य दो लाख रुपये से अधिक नहीं है, उसे ऐसी सम्पूर्ण सम्पत्ति अथवा उसके भाग का अन्तरण करने की अनुज्ञा दे सकता है।

स्पष्टीकरण:—इस उपधारा में, किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में, "परिवार" का तात्पर्य उसके पति या उसकी पत्नी और अवयस्क पुत्रों तथा (विवाहित पुत्रियों से भिन्न) पुत्रियों से है।"

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 16, 1972 का निरसन

4—उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) (संशोधन) अध्यादेश, 1972 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

No. 4432(2)/XVII-V—1-156-72

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Adhikatam Sampatti Seema (Antaran Par Asthai Nirbandhan) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1972 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 45 of 1972) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on December 31, 1972 :

THE UTTAR PRADESH CEILING ON PROPERTY (TEMPORARY RESTRICTIONS ON TRANSFER) (AMENDMENT) ACT, 1972

[U. P. Act no. 45 of 1972]

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

to amend the Uttar Pradesh Ceiling on Property (Temporary Restrictions on Transfer) Act, 1972

It is hereby enacted in the Twenty-third Year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Ceiling on Property (Temporary Restrictions on Transfer) (Amendment) Act, 1972.

Declaration.

2. It is hereby declared that this Act is being made to give effect to the policy of the State towards securing the principles specified in clauses (*b*) and (*c*) of Article 39 of the Constitution.

Amendment of section 3 of U. P. Act 36 of 1972.

3. In section 3 of the Uttar Pradesh Ceiling on Property (Temporary Restrictions on Transfer) Act, 1972, hereinafter referred to as the principal Act,—

(i) in sub-section (1)—

(*a*) *for* the words and figures "During a period of three months from July 12, 1972" the words and figures "During the period from July 12, 1972 to January 31, 1973" shall be *substituted*;

(*b*) *for* the words and figures "sub-sections (3) and (4)" the words and figures "sub-sections (3), (4) and (5)" shall be *substituted*;

(*c*) the words "or agricultural land" shall be *omitted*;

(ii) in sub-section (3),—

(*a*) clause (*b*) shall be *omitted*;

(*b*) *after* clause (*c*), the following clauses shall be *inserted*, namely,—

"(*d*) any transfer of any urban property made in execution of any decree of a competent court passed in a suit instituted before July 11, 1972, or of any decree passed under section 14 of the U. P. Encumbered Estates Act, 1934;

(*e*) any mortgage of urban property in favour of a co-operative housing society, where such property is a building built or proposed to be built, or is the site of such building or proposed building, and is purchased or proposed to be purchased, wholly or partly out of a loan or advance given by that society out of funds provided by a co-operative society referred to in sub-clause (iv) of clause (*c*).";

(iii) *after* sub-section (4), the following sub-section shall be *inserted*, namely:—

"(5) Notwithstanding anything in this section, the Commissioner of the Division on being satisfied that the present market value of urban property held by any person along with members of his family on April 1, 1969, as well as on the date of commencement of this Act does not exceed two lakhs of rupees, may permit him to transfer the whole or part of such property.

Explanation—In this sub-section, 'family', in relation to a person, means his or her spouse and minor sons and daughters, (other than married daughters)."

Repeal of U. P. Ordinance no. 16 of 1972.

4. The Uttar Pradesh Ceiling on Property (Temporary Restrictions on Transfer) (Amendment) Ordinance, 1972, is hereby repealed.

आज्ञा से,

कैलाश नाथ गोयल,

सचिव ।

पी० एस०-यू० पी०—ए० पी० 342 गजट (हि०)—1972—1,982+250 (मे०) ।